न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

प्रकरण संख्या : 75 / 2024

जी.सी.एम.एस नं. : 2024 / 91

अभियुक्त :–

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)	बनाम	श्री संजय जोशी पुत्र श्री शांतिलाल जोशी निवासी 195, सुनार वाडा, परतापुर, बांसवाडा (विक्रेता / मालिक) मैसर्स दीपक मिष्ठान भण्डार, सदर बाजार, परतापुर, बांसवाडा (राज.)

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 12–08–2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि **श्री शशिकान्त शर्मा** खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक **04–07–2024** को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक **21–03–2024** को दौराने निरीक्षण 4.30 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु **मैसर्स दीपक मिष्ठान भण्डार, सदर बाजार, परतापुर, बांसवाडा** पर पहुंचा तो वहाँ पर **श्री संजय जोशी पुत्र श्री शांतिलाल जोशी** मिले। **विक्रेता की उपस्थिति में मैसर्स दीपक मिष्ठान भण्डार, सदर बाजार, परतापुर, बांसवाडा** का निरीक्षण करने पर परिसर में **नमकीन रिफाईण्ड सोयाबीन तेल से निर्मित (लूज) एक एल्यूमिनीयम के भगोने में लगभग 20 किलोग्राम विक्रय हेतु रखा था।** जिसको एफ.एस.एस.ए. 2006 के तहत देखने पर मानक स्तर का नही होने का शक हुआ। शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए **नमकीन रिफाईण्ड सोयाबीन तेल से निर्मित (लूज) 2 किलोग्राम** वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत **520 /– रु.** विक्रेता को नगद चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **नमकीन रिफाईण्ड [illegible] तेल से निर्मित (लूज) 2 किलोग्राम के चार नमूना भाग तैयार कर** प्रत्येक [illegible] पर [illegible] किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा [illegible] कोड क्रमांक **W-1769** [illegible] नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी व सील बंद किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.10.07 12:03:09 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

सील बंद नमूनो पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मौका फर्द रिर्पोट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर, हस्ताक्षर करने को कहा, जिन्होने स्वयं ने भी पढकर, सुनकर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

कार्यालय पहुचकर फार्म नंबर 6 की प्रतियाँ तैयार की प्रत्येक पर सील मोहर कर एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खा़द्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खा़द्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए / 2024 / 184 दिनांक 18–04–2024 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 369 दिनांक 02–04–2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **नमकीन रिफाईण्ड सोयाबीन तेल से निर्मित (लूज)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1769** Substandard + Contains extraneous matter 3(1)(zx), 3(1)(i) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। जिसकी सूचना विक्रेता / मालिक को दी गई। विक्रेता ने नमूने की पुनः जाँच हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नही किया है। विक्रेता द्वारा **नमकीन रिफाईण्ड सोयाबीन तेल से निर्मित (लूज)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 एवं 54 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 1[illegible]–07–2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपीगणो को जरिये समन तलब किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.10.07 12:03:09 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 12–08–2024 को अप्रार्थी [illegible] खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है।

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बाँसवाड़ा (राज.)

आरोपी की ओर से अपराध स्वीकार किया गया है अतः किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए / 2024 / 184 दिनांक 18–04–2024 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 369 दिनांक 02–04–2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **नमकीन रिफाईण्ड सोयाबीन तेल से निर्मित (लूज)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1769** Substandard + Contains extraneous matter 3(1)(zx), 3(1)(i) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx), 3(1)(i) के तहत Substanderd + Contains extraneous matter पाया गया **नमकीन रिफाईण्ड सोयाबीन तेल से निर्मित (लूज)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 की धारा 51, 54 में निर्धारित है। अतः आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी **श्री संजय जोशी पुत्र श्री शांतिलाल जोशी निवासी 195, सुनार वाडा, परतापुर, बांसवाडा (विक्रेता / मालिक) मैसर्स दीपक मिष्ठान भण्डार, सदर बाजार, परतापुर, बांसवाडा (राज.) को रूपये 5000 / – (अक्षरे पॉच हजार रुपया मात्र) से दण्डित कर** खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 12–08–2024 खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.10.07 12:03:09 IST
Reason: SelfAttested

(अभिषेक गोयल)
निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा (राज.)

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)